भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3751

11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन के चिकित्सा छात्रों का एकीकरण

3751. श्री संजय काका पाटील:

डॉ. के. जयकुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यूक्रेन से निकाल कर वापस लाए गए/लौटे भारतीय चिकित्सा छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों के साथ एकीकृत करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके प्रवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे और छात्रों को समायोजित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): विदेशी मेडिकल छात्र/स्नातक या तो "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002" अथवा "विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट विनियम, 2021" के तहत आते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के साथ-साथ विनियमों में किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान वाले मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित या स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे (कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष आदि के कारण उन्हें अपना विदेशी चिकित्सा संस्थान छोड़ना पड़ा) और बाद में पढ़ाई पूरी कर ली है उनको 30 जून, 2022 को या उससे पहले संबंधित संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम/डिग्री पूरा करने का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, उन्हें विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति है। इसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को नैदानिक प्रशिक्षण के लिए दो साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग चिकित्सा इंटर्नशिप (सीआरएमआई) से गुजरना पड़ता है, जिसमें विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सके थे और उन्हें भारतीय परिस्थितियों में चिकित्सा पद्धति से परिचित कराया जाता है। विदेशी मेडिकल स्नातकों को दो साल की सीआरएमआई पूरी करने के बाद ही पंजीकरण मिलता है।

एनएमसी ने यूक्रेन द्वारा पेश किए गए एकादमिक मोबिलिटी कार्यक्रम, यानि सार्वजनिक नोटिस में उल्लिखित 29 देशों में से किसी में लागू अन्य विश्वविद्यालयों में अस्थायी स्थानांतरण (संघर्ष की अवधि के लिए) के बारे में अपनी अनापत्ति के बारे में सूचित करते हुए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। कुछ ही छात्रों ने अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम का विकल्प चुना है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है और उसके बाद एमबीबीएस सीटें भी बढ़ाई हैं। मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 704 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 110% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर अब 1,07,948 और पीजी सीटों में 117% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर अब 67,802 हो गई है।

*****